



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.एस.-अ.-11052026-272445
CG-AS-E-11052026-272445

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2289]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 9, 2026/वैशाख 19, 1948

No. 2289]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 9, 2026/VAISAKHA 19, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मालीगाँव, 28 अप्रैल, 2026

का.आ. 2380(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7A) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारी को "सक्षम प्राधिकारी" के रूप में प्राधिकृत करती है, ताकि वह उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकारी के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन कर सके। यह अधिकार इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा और बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में "अलुआबाड़ी रोड - न्यू जलपाईगुडी तीसरी और चौथी लाइन" नामक विशेष रेलवे परियोजना के संबंध में लागू होगा; यह परियोजना उक्त तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिलों से संबंधित है और इसका उद्देश्य उक्त विशेष रेलवे परियोजना का निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन करना है, जो कि एक सार्वजनिक प्रयोजन है।

सारणी

क सं	सक्षम प्राधिकारी	ज़िला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ज़िला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज	किशनगंज	बिहार
2	अपर ज़िला मजिस्ट्रेट (LA), जलपाईगुडी	जलपाईगुडी	पश्चिम बंगाल
3	अपर ज़िला मजिस्ट्रेट (LA), दार्जिलिंग	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल
4	अपर ज़िला मजिस्ट्रेट (LA), उत्तर दिनाजपुर	उत्तर दिनाजपुर	पश्चिम बंगाल

[फा. सं. W/207/CON/NJP/LAND/AUB-NJP 3rd & 4th Line]

संजीव कुमार, मुख्य अभियंता/एनजेपी परियोजनाएं

MINISTRY OF RAILWAYS

[Northeast Frontier Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Maligaon, the 28th April, 2026

S.O. 2380(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorise the officer mentioned in column (2) of the table below as “Competent Authority” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project of “**Aluabari Road - New Jalpaiguri 3rd & 4th Line**” in the State of Bihar & West Bengal relating to districts mentioned in Column (3) of the said table for the public purpose of execution maintenance, management and operation of such special Railway Project.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	District	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1	District Land Acquisition Officer, Kishanganj	Kishanganj	Bihar
2	Additional District Magistrate (LA), Jalpaiguri	Jalpaiguri	West Bengal
3	Additional District Magistrate (LA), Darjeeling	Darjeeling	West Bengal
4	Additional District Magistrate (LA), Uttar Dinajpur	Uttar Dinajpur	West Bengal

[F. No. W/207/CON/NJP/LAND/AUB-NJP 3rd & 4th Line]

SANJEEV KUMAR, Chief Engineer/NJP Projects